कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14( )2016/एफसीए/प्रमुवसं./ 6002 दिनांक 16-05-2023

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषयः– Development of Bewar Masuda- Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the state of Rajasthan. (Proposal No.- FP/RJ/ROAD/21332/2016)

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित हैः–

1. क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में नही है।
2. यूजर ऐजेन्सी के पत्रानुसार प्रस्तावित प्रकरण वर्तमान 7 मीटर रोड में रिन्यूबल एवं ओवर ले का कार्य किया जाना है। प्रस्ताव में वर्तमान रोड की चौडाई बढाया जाना सम्मिलित है अथवा नही स्पष्ट नही है।
3. मुख्य वन संरक्षक की अनुशंषा के आधार पर वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सडक के दोनो ओर दीवार निर्माण किया प्रस्तावित है इस हेतु यूजर ऐजेन्सी की वचनवद्वता संलग्न नही है। 6 फीट उफची दीवार से वन्यजीवों के आवागमन बाधित होता है इस हेतु 6 फीट उॅची दीवार लिये जाने के आधार स्पष्ट करें।
4. प्रस्तावित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना की के0एम0एल0 फाइल में पुराने वृक्षारोपण की दीवार नजर आती है जबकि उक्त भूमि वन क्षेत्र से दूर है।
5. एन0पी0वी0 गणना रिपोर्ट संलग्न नही है।
6. प्रसताव के पार्ट 1 में तीन प्रकरण दर्शाये गये है जिनमें दो प्रकरण विदड्रा किये जा चुके एवं 1 प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अद्यतन स्थिति अंकित करें।
7. प्रस्ताव के साथ संलग्न के0एम0एल0 का एलायमेंट सडक के किनारे पर बनी दीवार निर्माण कार्य पर आ रहा है ऐसी स्थिति में क्या दीवार का ताडा जाना प्रस्तावित है अथवा नही। यदि तोडा जाना है तो उप वन संरक्षक द्वारा नुकसान की राशि अधिरोपित करें। यदि नही तो उप वन संरक्षक द्वारा दीवार निर्माण दोनो ओर क्यो प्रस्तावित की गयी है जबकि एक ओर दीवार उपलब्ध है।
8. प्रस्तावित वन भूमि एवं डिजीटल सीमाओ में अंतर है। प्रस्ताव को राजस्व मेप पर अंकित किया जाकर वन भूमि की जमाबंदी संलग्न की जावे।
9. प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नही है।
10. प्रस्ताव की 2 हार्ड प्रति प्राप्त नही है।

उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2016/एफसीए/प्रमुवसं./ 6003-04 दिनांक 16-05-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप वन संरक्षक, अजमेर।
2. PROJECT DIRECTOR (PPP-II) PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN, JAPUR.

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Scanned with CamScanner